समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 16/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

-------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड औरैया ।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

1. इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 11.06.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, औरैया (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781726685821 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है । परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संसोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि .भगवंत सिंह आर्य नगर का संयोजन सं781726685821 . स्वीकृत भार 17.00 KVA का Previous Arrear और Previous Surcharge रु .2,99,475था । -/

आगे जारी है ।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 5/1 ता 5/7) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण परिवादी एक कम्पनी है सिद्ध नहीं है। परिवाद पत्र प्रस्तुत करने वाले श्री मोहम्मद कौसर जहां के द्वारा परिवादी कम्पनी की तरफ से परिवाद को अपने हस्ताक्षर से दाखिल करने से सम्बन्धित कम्पनी का कोई रिजोल्यूशन भी परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण श्री कौसर जहां को परिवाद पत्र अपने हस्ताक्षर से दाखिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा मात्र इन आधारों पर ही परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विवादित नहीं हैं। धारा 4 के कथन में ये स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन जरिये खाता संख्या 781726685821 से प्राप्त किया था। जिस पर समय - समय बिल मीटर रीडिंग के अनुसार जारी किये जाते रहे। धारा 5 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा विद्युत बिल की धनराशियों का समय से भुगतान नहीं किया गया। जिसके कारण परिवादी के ऊपर दिनांक 29.07.2021 को बकाया धनराशि रू. 3,73,094.00 थी। धारा 6 के कथन जिस प्रकार लिखे गये असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को मीटर संख्या X0234680 में आ रही के.डब्लू.एच. व के.वी.ए.एच. की रीडिंग के अनुसार जारी किये गये। माह 03/2020 का बिल में दर्शित रीडिंग 10312.6 के.डब्लू.एच. व 10380 के.वी.ए.एच. तक का बिल मासिक विद्युत उपभोग यूनिट धनराशि रू. 53,072.66 का जारी किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता के द्वारा दिनांक 27.03.2020 को जमा किया गया। माह 04/2020 से 07/2020 तक की उपभोक्ता मीटर में दर्शित रीडिंग 78297.8 के.डब्लू.एच व 78436 के.वी.ए.एच तक का बिल अधिक खपत / उपभोग होने के कारण सी.डी.एफ. की धनराशि रू. 6,04,094.00 का जारी हुआ। तथा उक्त मीटर की एम.आर.आई. करके माह अवधि 04/2020 से माह 08/2020 का बिल संशोधित कर दिया गया। उपरोक्त मीटर में वर्णित रीडिंग 78436 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 89739 के.वी.एच. की धनराशि रू. 7,11,335.24 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। माह 09/2020 का बिल उपरोक्त मीटर में उपलब्ध रीडिंग 98614.2 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 98691 के.वी.एच. की धनराशि रू. 7,96,689.00 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। माह 10/2020 का बिल उपरोक्त मीटर में उपलब्ध रीडिंग 110056.2 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 110218.2 के.वी.एच. की धनराशि रू. 9,44,913.00 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। माह 11/2020 का बिल उपरोक्त मीटर में उपलब्ध रीडिंग 126284.2 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 126473.8 के.वी.ए.एच. की धनराशि रू. 10,93,335.00 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। परिवादी के द्वारां रू. 3,98,344.00 के भुगतान की गयी धनराशि दिनांक 17.11.2020 को आन लाईन बिल में घट गयी। तथा शेष बकाया धनराशि रू. 6,94,991.00 थी। धारा 7 के कथन में ये स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा चेक मीटर लगाने का आवेदन करने पर उसके परिसर के बाहर दिनांक 26.11.2020 के सीलींग सर्टीफिकेट की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक-1 है। चेक मीटर को दिनांक 16.12.2020 को उतारा गया। तथा प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार मेन मीटर में दिनांक 16.12.2020 को रीडिंग 128838 के.डब्लू.एच. इस अवधि मेन मीटर विद्युत उपभोग 1750

आगे जारी है।

के.डब्लू.एच. पाया गया । तथा चेक मीटर में रीडिंग 1751 के.डब्लू.एच. पायी । इस प्रयोगशाला जांच रिर्पोट दिनांक 16.12.2020 की फोटो प्रतिलिपि इस जवाबदावे का संलग्नक-2 है । जिससे स्पष्ट है कि मीटर संख्या X0234680 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी व है। मीटर में त्रुटि तभी मानी जाती है जब कि मीटर व मेन मीटर में उपभोग टूनिट +3% or -3% से ज्यादा का अन्तर आ रहै हो। जब कि परिवादी के प्रकरण में ऐसा अन्तर नहीं पाया गया। धारा 8 के कथन में ये स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा दिनांक 17.11.2020 को रू. 3,98,344.00 का भुगतान किया गया । किन्तु ये असत्य व अस्वीकार है कि परिवादी के द्वारा माह अवधि 03.01.2021 से 03.02.2021 का बिल प्राप्त होने के बाद धनराशि को जमा किया गया हो । तथा चेक मीटर भी दिनांक 16.11.2020 को लगाकर दिनांक 16.12.2020 को उतार कर मीटर की प्रयोगशाला रिर्पोट भी प्राप्त हो गयी थी। जो कि क्रमशः संलग्नक- 1 व 2 है। धारा 9 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं जांच रिर्पोट जो जवाबदावे का संलग्नक-2 है से स्पष्ट है कि मेन मीटर व चेक मीटर में दिनांक 16.11.2020 से 16.12.2020 की अवधि में विद्युत उपभोग की गणना में किसी प्रकार अन्तर नहीं पाया गया। जिसके कारण पुराने मेन मीटर संख्या X0234680 के आधार पर परिवादी को जारी बिल पूर्णतया सत्य व सही थे जिनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवशाकता नहीं है। धारा 10 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी को सही मीटर (Correct Meter) के आधार पर बिल जारी किये गये जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। धारा 11 के कथन विधिक है जिसमें किसी प्रकार के कमेंट की आवश्यकता नहीं है। परिवादी को सही मीटर संख्या X0234680 के माध्यम से बिल जारी किये गये तथा इस मीटर को चेक मीटर लगाकर चेक भी किया जा चुका है। धारा 12 में उ.प्र. विद्युत सप्लाई कोड 2005 के क्लाज 6.5(b)(i) का जो उल्लेख किया है वह विवादित नहीं है। किन्तु परिवादी को बिल सही मीटर के आधार पर जारी किये जा रहे हैं। जिसके कारण उत्तरित धारा के शेष कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । परिवादी के ऊपर दिनांक 29.07.2021 तक रू. 3,73,094.00 बकाया था। जो माह दर माह बढ़ रहा है। धारा 13 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी को पूर्णतया सही बिल वधिक प्रावधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं । तथा उसके किसी भी संविधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

<u>निष्कर्ष</u>

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाहँ को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, औरैया के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।

आगे जारी है।

(1) परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। परिवादी ने विद्युत बिल का. सं. 1/8 दाखिल किया।

(2) परिवादी ने विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726685821 प्राप्त किया था। जिस पर समय - समय बिल मीटर रीडिंग के अनुसार जारी किये जाते रहे। परिवादी के द्वारा विद्युत बिल की धनराशियों का समय से भुगतान नहीं किया गया। जिसके कारण परिवादी के ऊपर दिनांक 29.07.2021 को बकाया धनराशि रू. 3,73,094.00 थी। परिवादी को मीटर संख्या X0234680 में आ रही के.डब्लू.एच. व के.वी.ए.एच. की रीडिंग के अनुसार जारी किये गये। माह 03/2020 का बिल में दर्शित रीडिंग 10312.6 के.डब्लू.एच. व 10380 के.वी.ए.एच. तक का बिल मासिक विद्युत उपभोग यूनिट धनराशि रू. 53,072.66 का जारी किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता के द्वारा दिनांक 27.03.2020 को जमा किया गया। माह 04/2020 से 07/2020 तक की उपभोक्ता मीटर में दर्शित रीडिंग 78297.8 के.डब्लू.एच व 78436 के.वी.ए.एच तक का बिल अधिक खपत / उपभोग होने के कारण सी.डी.एफ. की धनराशि रू. 6,04,094.00 का जारी हुआ। तथा उक्त मीटर की एम.आर.आई. करके माह अवधि 04/2020 से माह 08/2020 का बिल संशोधित कर दिया गया। उपरोक्त मीटर में वर्णित रीडिंग 78436 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 89739 के.वी.एच. की धनराशि रू. 7,11,335.24 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। माह 09/2020 का बिल उपरोक्त मीटर में उपलब्ध रीडिंग 98614.2 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 98691 के.वी.एच. की धनराशि रू. 7,96,689.00 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। माह 10/2020 का बिल उपरोक्त मीटर में उपलब्ध रीडिंग 110056.2 केडब्लू.एच. व रीडिंग 110218.2 के.वी.एच. की धनराशि रू. 9,44,913.00 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। माह 11/2020 का बिल उपरोक्त मीटर में उपलब्ध रीडिंग 126284.2 के.डब्लू.एच. व रीडिंग 126473.8 के.वी.ए.एच. की धनराशि रू. 10,93,335.00 का बना जो उपभोक्ता को जारी किया गया। परिवादी के द्वारा रू. 3,98,344.00 के भुगतान की गयी धनराशि दिनांक 17.11.2020 को आन लाईन बिल में घट गयी। तथा शेष बकाया धनराशि रू. 6,94,991.00 थी। परिवादी के द्वारा चेक मीटर लगाने का आवेदन करने पर उसके परिसर के बाहर दिनांक 26.11.2020 के सीलींग सर्टीफिकेट की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक-1 है। चेक मीटर को दिनांक 16.12.2020 को उतारा गया। तथा प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार मेन मीटर में दिनांक 16.12.2020 को रीडिंग 128838 के.डब्लू.एच. इस अवधि मेन मीटर विद्युत उपभोग 1750 के.डब्लू.एच. पाया गया। तथा चेक मीटर में रीडिंग 1751 के.डब्लू.एच. पायी। इस प्रयोगशाला जांच रिर्पोट दिनांक 16.12.2020 की फोटो प्रतिलिपि इस जवाबदावे का संलग्नक-2 है। जिससे स्पष्ट है कि मीटर संख्या X0234680 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी व है। मीटर में त्रुटि तभी मानी जाती है जब कि मीटर व मेन मीटर में उपभोग टूनिट +3% or -3% से ज्यादा का अन्तर आ रहै हो। परिवादी के द्वारा दिनांक 17.11.2020 को रू. 3,98,344.00 का भुगतान किया गया। परिवादी के द्वारा माह अवधि 03.01.2021 से 03.02.2021 का बिल प्राप्त होने के बाद धनराशि को जमा किया गया हो। तथा चेक मीटर भी दिनांक 16.11.2020 को लगाकर

आगे जारी है।

दिनांक 16.12.2020 को उतार कर मीटर की प्रयोगशाला रिर्पोट भी प्राप्त हो गयी थी । जो कि क्रमशः संलग्नक- 1 व 2 है । परिवादी को सही मीटर (Correct Meter) के आधार पर बिल जारी किये गये जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

विपक्षी द्वारा कन्जूमर की पेमेन्ट डिटेल (का. सं. 9/1 ता 9/5) एवं पत्रांक सं. 7436/वि.वि.ख.औ. (का. सं. 10/1 ता 10/6) दिनांक 05.12.2022 को दाखिल किया गया है । विपक्षी द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी प्रतिमाह बिलों का भुगतान कर रहा है । जिससे परिवादी संतुष्ट है । अतः परिवाद संतुष्टि के आधार उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है ।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का परिवाद संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किया जाता है । परिवादी द्वारा संतुष्टि के आधार पर बिल का भुगतान बराबर किया जा रहा है । पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें ।

12/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 12/12/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया ।

12/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 12/12/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति